डिक्री व मुकदमा इब्तदाइ

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उन0 जीतो वगै0 बनाम महाराम वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 41/25

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी आराजी खसरा नंबर 1511 रकबा 0.19, 1626 रकबा 0.09, 1629 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09. 2017 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक _____ की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02/12/25 को जारी की गई ।

दस्तखत—

मुहर

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 41/25
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/81
किस्म दावा 88,89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 02.12.2025

1. जीतो पुत्र महाराम जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. विष्णुराम पुत्र महाराम जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. महाराम पुत्र खरगी जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री जगवीर सिंह एड. (वादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सारगर्भित तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 516 के खसरा नंबरान 1511 रकबा 0.19, 1626 रकबा 0.09, 1629 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई स्थित है। जिस पर वादीगण रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
2. यह कि उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 की सत्यप्रति वादीगण द्वारा पटवारी हल्का को संभला दी परन्तु वादीगण कानून की पेचीदिगियों को नहीं जानते और निश्चिंत हो गए परन्तु दानपत्र दिनांक से ही वादीगण काबिज काश्त होने के बावजूद भी जब दिनांक 27.03.2025 को उक्त खसरा नंबर 1511 रकबा 0.19, 1626 रकबा 0.09, 1629 रकबा 0.09 वाके ग्राम हंतरा की खातेदारी की नकल प्राप्त की तो मालूम हुआ कि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि वादीगण की अज्ञानता एवं कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण हुआ है। जिस कारण

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कार्मिक पटवारी हल्का हंतरा द्वारा एलानियां धमकी दी हैं कि उक्त आराजी जिस पर वादीगण दिनांक 15.09.2017 से जरिए रजि0 दानपत्र काबिज हैं उसके बाबजूद भी भी उनके कब्जेकाश्त से बेदखल कर दिया जाएगा। अतः वादीगण उक्त दानपत्र के आधार पर उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात महाराम पुत्र खरगी को कलमजन कराकर स्वयं के नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं और उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी हैं। तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह पूर्व में हुई सहवन भूल के आधार वादीगण को उनके रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 से काबिज काश्तकार हैं, उन्हें कब्जे से बेदखल नहीं करे व ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे वादीगण के अधिकारों पर कोई जबाल आए।

3. अंत में प्रार्थना की कि उक्त विवादित आराजी पर मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाए एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वो विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन रजिस्टर्ड एडी तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम हंतरा प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 प्रदर्श 2 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में जीतो पुत्र महाराम जाति जाट निवासी हंतरा एवं विष्णुराम पुत्र महाराम जाति जाट निवासी हंतरा के शपथ पत्र पेश किए गए। तदुपरानत पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन रहे कि रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 के अनुसार वादीगण को उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या

Scanned with OKEN Scanner

1 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि हाल विवादित आराजी खसरा नंबर 1511 रकबा 0.19, 1626 रकबा 0.09, 1629 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 महाराम पुत्र खरगी जाति जाट निवासी हंतरा द्वारा वादीगण के नाम जरिए रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 निष्पादित कर दिया गया। चूंकि दानपत्र दिनांक 15.09.2017 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता संदेह से परे है। वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र भी वादीगण के वादपत्र को समर्थन करता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी आराजी खसरा नंबर 1511 रकबा 0.19, 1626 रकबा 0.09, 1629 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्ट0 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.09.2017 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...02/12/25...को लिख जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner